भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2428
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

मंत्रालय द्वारा आईआईएलएम के सहयोग से की गई कार्रवाई

2428. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान(आईआईएलएम) के सहयोग से ऊर्ध्वाधर तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टैंकों के अंशांकन और जल, गैस और विद्युत मीटरों की परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और आईआईएलएम के साथ साझेदारी में भूमि माप मीटरों/उपकरणों के अंशांकन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) मंत्रालय आईआईएलएम की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकता है और राज्य सरकारें संस्थान के निष्कर्षों को किस प्रकार क्रियान्वित कर सकती है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): विभाग ने राज्य सरकारों और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) के सहयोग से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत उपायों को लागू किया है, ताकि वर्टिकल ऑयल और पेट्रोलियम भंडारण टैंकों के साथ-साथ विभिन्न अन्य बाट और माप उपकरणों का सटीक अंशांकन और सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। इनमें गैर-स्वचालित बाट उपकरण, पानी के मीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और सीएनजी डिस्पेंसर आदि शामिल हैं। वर्टिकल भंडारण टैंकों को राज्य विधिक मापविज्ञान अधिकारियों द्वारा अंशांकित और मुहरांकित किया जाता है और प्रत्येक पांच वर्ष में उनका पुनः सत्यापन किया जाता है। आईआईएलएम, रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम इन अधिकारियों को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं।

भूमि माप उपकरणों को विनियमित करने के लिए, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। लंबाई माप, फोल्डिंग स्केल और टेप माप जैसे उपकरणों का सत्यापन राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों द्वारा किया जाता है, जिन्हें क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अंशांकन सेवाएँ प्रदान करते हैं और विधिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

आईआईएलएम की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विभाग ने संस्थान के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, उन्नत मापविज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है, और संकाय के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। राज्य सरकारें आईआईएलएम के तरीकों को अपनाकर और अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोगशालाएँ स्थापित करके इसके निष्कर्षों को यह सुनिश्चित करते हुए लागू करती है कि आईआईएलएम में प्रशिक्षित अधिकारी उपभोक्ता हितों की रक्षा और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीकों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं।

******